प्रेषक

आबकारी व कराधान आयुक्त, हरियाणा,
वाणिज्य भवन, सैक्टर 5, पंचकूला ।

सेवा में

1. सभी संयुक्त आबकारी व कराधान आयुक्त (अपील्ज/रेंज),
2. सभी उप आबकारी व कराधान आयुक्त (बिक्री कर/आबकारी)।
   हरियाणा राज्य में।
3. सभी राजपत्रित अधिकारी (मुख्यालय में)

क्रमांक 3288 /ई0 1 सी.,
पंचकुला, दिनांक 25/5/17

विषयः— **आबकारी व कराधान विभाग के सभी अधिकारियों की लम्बित चल–अचल सम्पत्ति घोषणा पत्र भेजने बारे।**

संदर्भ इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1253/ई0 1सी, दिनांक 02.03.2017 तथा स्मरण पत्र क्रमांक 1696/ई01सी0, दिनांक 17.03.2017

ज्ञापन

विष्योक्त संदर्भित मामले में आपको अपनी व अपने अधीनस्थ कार्यरत सभी राजपत्रित अधिकारियों की अब तक की लम्बित चल अचल सम्पत्ति घोषणा पत्र भेजने बारे लिखा गया था, परन्तु अभी तक ज्यादातर अधिकारियों की लम्बित चल अचल सम्पत्ति घोषणा पत्र प्राप्त नहीं हुऐ हैं जो कि सरकार के आदेशों की अवहेलना है।

अब सरकार द्वारा मामले को पुनः संज्ञान में लिया गया है, जो कर्मचारी/अधिकारी अपनी चल–अचल सम्पत्ति का घोषणा पत्र निर्धारित प्रोफॉर्मा में भरकर समय पर प्रस्तुत नहीं करेगा, तो उसे पदोन्नति के लिये विचारा नहीं जायेगा तथा उसके विरुद्ध हरियाणा सिविल सर्विस (पी.एंड.ए.) नियम 2016 के तहत आवश्यक कार्यवाही कर ली जायेगी।

अतः आपको पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि आपके कार्यालय में पदस्थ सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की चल–अचल सम्पत्ति घोषणा पत्र निर्धारित प्रोफॉर्मा में भरकर तुरन्त इस कार्यालय में भेजें।

O/c सहायक आबकारी व कराधान अधिकारी–III
कृते: आबकारी व कराधान आयुक्त, हरियाणा।

पृ0 क्रमांक 3289 /ई0 1 सी., पंचकूला, दिनांक 25/5/17

1. एक प्रति माननीय मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी व कराधान विभाग को उनके यादि क्रमांक 2922–ई.टी.–3–2017/2321, दिनांक 15.02.2017 तथा डायरी क्रमांक 8604 दिनाक 11.05.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

O/c सहायक आबकारी व कराधान अधिकारी–III
कृते: आबकारी व कराधान आयुक्त, हरियाणा।